सं.1-42/2019-प्रशासन-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(वीबीडी अनुभाग)

विषय: राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु **सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)/ विषविज्ञानी** के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन संबंधी जन सूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं. एबी.14017/16/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) हेतु **सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)/ विषविज्ञानी** के पद के भर्ती नियमों की प्रारूप अधिसूचना संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, प्रारूप भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव श्री वैद्यनाथ प्रसाद, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं. 753-ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड,नई दिल्ली- 110008 को लिखित रूप में या ई-मेल पते sovbdhfw@gmail.com पर भेज सकते हैं।

(बैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं: 23061510

नई दिल्ली
दिनांक:

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. .... - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली भर्ती नियम सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)/विषविज्ञानी 1985 के अधिक्रमण ,में उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) में **सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)/ विषविज्ञानी** पद पर भर्ती की पद्ति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : -**

   (i) इन नियमों को राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)/ विषविज्ञानी **समूह 'क' पद** भर्ती नियम 2020 कहा जायेगा।

   (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** - वह व्यक्ति -

   (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है,; या विवाह की संविदा की है।

   (ii) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार को लागू स्व-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचनी है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (रसायन विज्ञान)/ विषविज्ञानी	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित (गैर-मंत्रालयी)	वेतन मैट्रिक्स का लेवल-11 - अर्थात् (67700 - 208700/- रुपये)	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी: आयु-सीमा का निर्धारण भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को आधार मानकर किया जायेगा (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-प्रभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को)	अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जैविक रसायन में मास्टर डिग्री या समकक्ष। (ii) केंद्र/राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत कीटनाशकों, उनके सूत्रीकरणों और/या मानवों और पशुओं में कीटनाशकों के जैव निम्नीकरण के गुणवत्ता नियंत्रण में 5 वर्ष का अनुसंधान / शिक्षण व्यवहारिक अनुभव। वांछनीय: (i) जैविक रसायन में डॉक्टरेट टिप्पणी-1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिलनीय हैं। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
आयु: नहीं अर्हता: हां।	सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के लिए द्वारा 2 वर्ष।	पदोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों द्वारा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति: ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में अनुसंधान अधिकारी (रसायन विज्ञान)। प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारी: (i) सदृश पद धारक; या (ii) वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में वेतनमान के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा; और (ख) सीधी भर्ती के लिए कॉलम 7 के तहत निर्धारित शैक्षिक अर्हता, अनुभव इत्यादि धारक। (प्रदायक श्रेणी के वे विभागीय अधिरी जो प्रोन्नति की सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति धारक भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार के लिए पात्र नहीं होंगे। (उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आम तौर पर तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	(1) विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं: 1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2) अपर सचिव/संयुक्त सचिव (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य 3) उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (2) विभागीय स्थायी समिति (पदोन्नति को स्थायी करने के लिए) में शामिल हैं: 1. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक / निदेशक (ए एंड वी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक, एनवीबीडीसीपी - सदस्य टिप्पणी: स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही रिपोर्ट अनुमोदन हेतु आयोग को भेजी जायेगी। फिर भी, यदि उसे आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समति की नई बैठक आयोजित की जायेगी।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

सं.1-42/2019-प्रशा.I

(वैद्यनाथ प्रसाद)
अवर सचिव, भारत सरकार